न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 97/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00170

उनवान

1. भौंदूराम उम्र 75 वर्ष पुत्र स्व0 श्री नेकराम जाति जाट निवासी ग्राम खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।
   1/1. जसमत
   1/2. इन्दल सिंह
   1/3. पीतम सिंह
   1/4. जल सिंह
   } पुत्रगण स्व0 श्री भौंदूराम जाति जाट निवासी ग्राम खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गम्भीर सिंह उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 दीपचंद
2. रूप सिंह उम्र 60 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री श्रीचंद
3. बलवीर सिंह उम्र 50 वर्ष }
4. राजपाल उम्र 30 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री रघुवीर सिंह
5. पुष्पेन्द्र उम्र 25 वर्ष

} जाति जाट निवासी ग्राम खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

6. डालचन्द उम्र 60 वर्ष
7. खैमचन्द उम्र 58 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री नन्दराम
8. पूरन सिंह उम्र 55 वर्ष
9. दर्याव सिंह उम्र 68 वर्ष (मृतक)
   9/1. अशोक
   9/2. रविन्द्र
   9/3. हरवीर
   } पुत्र दर्याव
10. समन्दर सिंह उम्र 65 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री छिद्दन
11. गिर्राज सिंह उम्र 62 वर्ष }
12. बद्री उम्र 80 वर्ष } पुत्रगण स्व0 श्री शोभाराम
13. नारायन उम्र 75 वर्ष }
14. मुकेश कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्रगण स्व0 श्री होरीलाल उर्फ होतीलाल।
15. हरभान सिंह उम्र 40 वर्ष (मृतक)
    15/1. जीतेन्द्र
    15/2. पुष्पेन्द्र
    } पुत्र हरभान सिंह जाति जाट नि0 ग्राम खैमरा तह0 व जिला भरतपुर।
16. मु0 विमला देवी उम्र 70 वर्ष विधवा स्व0 श्री होरीलाल उर्फ होतीलाल(मृतक)
17. तुहीराम उम्र 60 वर्ष पुत्र स्व0 श्री लालाराम

} जाति जाट निवासी ग्राम खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

18. बहादुर उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 श्री लालाराम
19. लक्ष्मन उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्री लालाराम
20. कमल उर्फ कल्यान उम्र 80 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जीवन
21. बहादुर उम्र 55 वर्ष
22. मांगे उम्र 45 वर्ष
23. लक्ष्मन उम्र 40 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 श्री बाबू जाति जाट

24. जीतेन्द्र उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री ग्यान सिंह
25. योगेश उम्र 25 वर्ष पुत्र ग्यान सिंह
26. नीतू उम्र 20 वर्ष पुत्री ज्ञान सिंह

} जाति जाट नि ग्राम छह पोखर तह0 किरावली जिला आगरा।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 15.07.1994 व डिक्री दिनांक 18.07.1994 मि.नं. 293/90 उनवानी दीपचन्द बनाम डालचन्द।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री भूपत कुमार जैन उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–21.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.1994 व डिक्री दिनांक 18.07.1994 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खैमरा तहसील भरतपुर के वादी असल रैस्पो0 निस्फ भाग पर संवत 2012 के पूर्व से ही बतौर काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सुक्खी नाम का एक व्यक्ति वादीगण असल रैस्पो0 व प्रतिवादीगण तर0 रैस्पो0 का पुर्वज व कुटुम्बी था उसके हक में इन्द्राज खातेदारी और वादीगण असल रैस्पो0 के हक में इन्द्राज काश्त थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। वादीगण असल रैस्पो0 विवादित भूमि पर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण तर0 रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सरोकार नहीं है एवं ना ही विवादित आराजी को उन्होनें कभी काश्त किया है। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने विवादित आराजी से वादीगण असल रैस्पो0 के इन्द्राज कलमजन कर प्रतिवादीगण तर0 रैस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. धारा 96 सीपीसी में अपीलाण्ट का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 1248 के रकवा 0.22 है0 पर बतौर खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट हैं इस 22 एयर का साविक खसरा नम्बर 1436 रकवा 01 बीघा 7 विस्वा को दावें में वादीगण असल रैस्पो0 ने गलत रूप से शामिल किया था एवं अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया, जो बाद अपीलाधीन आदेश की इजराय में समस्त रकवा 1248/0.41 है0 पर रैस्पो0 असल के नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज कर दिया। अतः अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हित प्रभावित होते हैं एवं वह अपीलाधीन आदेश से व्यथित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना तरतीवी रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। असल रैस्पो0 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खसरा नम्बर 1248 रकवा 0.22 है0 तक विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट हाल खसरा नम्बर 1248 के रकवा 0.22 है0 पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं इस 22 एयर का साविक खसरा नम्बर 1436 रकवा 01 बीघा 5 विस्वा को दावे में वादीगण असल रैस्पो0 ने गलत रूप से शामिल किया गया था, जो अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में बतौर इजराय गलत रूप से असल रैस्पो0 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। मौके पर भी विवादित आराजी के 22 एयर रकवा पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हस्तगत अपील में असल रैस्पो0 द्वारा राजीनामा भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 1248 के 22 एयर रकवा पर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये अपील अपीलाण्ट उपरोक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। अतः मियाद के बिन्दु को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी। गुणावगुण पर अपीलाण्ट का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 1248 के रकवा 0.22 है0 पर अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं इस 22 एयर रकवा को साविक खसरा नम्बर 1436 रकवा 01 बीघा 5 विस्वा को वादीगण असल रैस्पो0 ने गलत रूप से दावे में शामिल करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया एवं खातेदारी दर्ज करवा ली। मौके पर आज भी अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। हम पाते हैं कि हस्तगत अपील में कुछ रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है, जो पृथक से तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली है। परन्तु अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील में मिलान क्षेत्रफल एवं पूर्व की जमाबन्दी आदि का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पुरानी होनी के कारण बीडिंग होने से कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के पूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं हो पा रहे हैं। अपील पत्रावली में अपीलाण्ट द्वारा फार्म संख्या 03 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने अपील के अलावा विवादित आराजी से संबंधित एक नियमित वाद भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। अतः हमारा मत है कि पक्षकार अपील में प्रस्तुत किये जा रहे कथित राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में राजीनामा का मूल्यांकन कर पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, खसरा नम्बर 1436/0.21 है0 भूमि बाबत् पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खसरा नम्बर 1436/0.21 को छोडते हुये शेष खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नम्बर यावत् यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर